न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
84/2022	FSS ACT	09.12.2022	24.10.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

2. श्री दीपक पुत्र श्री गोविंद प्रसाद, उम्र 49 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्सः— दीपक मावा विक्रेता आरएसी रोड़, रसाला पुलिया, धौलपुर, निवासी नाना साहब का बाड़ा, बजरिया, धौलपुर

—अभियुक्त

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 24.10.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 18.06.2022 को दोपहर 12:00 बजे पुलिस द्वारा दी गई सूचना व तहरीर के अनुसार मैसर्सः— दीपक मावा विक्रेता आरएसी रोड़, रसाला पुलिया, धौलपुर, पर पहुंचा मौके पर मौजूद व्यक्ति के नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम श्री दीपक पुत्र श्री गोविंद प्रसाद मालिक मालिक मैसर्सः— दीपक मावा विक्रेता आरएसी रोड़, रसाला पुलिया, धौलपुर, निवासी नाना साहब का बाड़ा, बजरिया, धौलपुर का होना बताया विक्रेता से खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान दुकान में मौजूद 22 डलियों में लगभग 880 किलोग्राम मावा जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस मावा में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त 880 किलोग्राम मावा में से 1 किलो ग्राम मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता दीपक पुत्र श्री गोविंद प्रसाद को रू. 170/— (एक सौ सत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो ग्राम मावा को विक्रेता एवं गवाहन की चार खाली साफ एवं सूखी बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर– बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बोतलो के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किऐ गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लैबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2507 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा आदि दर्ज कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2507 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर दीपक पुत्र गोविंद प्रसाद के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म सख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/352 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/704/एक्ट/2022/704 दिनांक 29.06.2022 के द्वारा मावा अनसेफ प्रकृति का पाया गया। तत्पश्चात् कारोबारकर्ता द्वारा फार्म 08 में रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच बावत आवेदन प्राप्त होने पर नमूना पुनः जांच हेतु रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भेजा गया जहां से प्राप्त सर्टिफिकेट संख्या 789एफ/एफएसएसए/2022 दिनांक 30.09.2022 के अनुसार नमूना सबस्टेन्डर्ड पाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु अधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपरोक्त अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अभिभाषक ने जबाब पेश किया ।

अपने जबाव में कहा कि प्रकरण में अभिहित अधिकारी (DESIGNATED OFFICER) डा0 श्री जयन्ती लाल मीणा द्वारा जो अभियोजन स्वीकृति दी है वह मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना (WITH OUT APPLICATION Of MIND) दी गई है, क्योकि जिस फर्म से नमूना लेना बताया गया है उस फर्म को पृथक से अभियुक्त नही बनाया गया है इस कारण प्रार्थी को दोषसिद्ध घोषित नही किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ ''मावा'' जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर की जांच रिपोर्ट के ''अनसेफ'' बताया गया है जबकि रैफरल लेबोरेट्रीज मैसूर की जांच रिपोर्ट में नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। इस प्रकार एक ही नमूने के दो भिन्न–भिन्न जांच रिपोर्ट ही उक्त अन्तर किस प्रकार से आया अथवा किस प्रकार से आ सकता है। इस तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नही किया गया हैं इस कारण भी प्रार्थी दोषमुक्ति का हकदार है जैसा की निम्न नजीर में प्रतिपादित किया गया है। 2006 R.Cr.D. Page 300। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार की प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा सेन्ट्रल लेवोरेट्री (रेफरल लेवोरेट्रीज मैसूर) की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय Mandatory Provision की ठीक तरह से पालना नही की अर्थात नमूना को अच्छी तरह से एक रूप नहीं किया गया, अच्छी तरह से फार्मालीन भी नही मिलाई गयी क्योकि एक रिपोर्ट अनसेफ बताती है। दूसरी सब–स्टैण्डर्ड इस कारण भी प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है। नमूना लेते समय एक फर्द रिपोर्ट तैयार की जाती है। और उस फर्द रिपोर्ट में मौके पर जो भी कार्यवाही की जाती है। उस का हवाला फर्द रिपोर्ट में किया जाता है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष में खोवा (मावा) का नमूना शीशीयों में भरने से पूर्व किस वर्तन अथवा किस माध्यम से नमूना को हमवार अथवा होमोजीनियस किया गया इस Mandatory Provision की अभियोजन पक्ष द्वारा अपालना की गई है। इस कारण भी प्रार्थी दोषमुक्ति का अधिकारी है। नमूना शीशीयो में भरने से पूर्व उक्त शीशीयों को किस कर्मचारी ने धोकर साफ किया अर्थात बोतलो को साफ भी किया कि नही इस बात का उल्लेख फर्द –रिपोर्ट में नही है इस कारण दोनो लेबोरेट्रीज की रिपोर्ट में काफी भिन्नता है। इस कारण अभियोजन पक्ष के कृत्य के लिये प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है। दिनांक 18.06.2022 को पदमसिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) के पद पर स्थापित था साबित नही क्योकि पदम सिंह परमार का यह कहना है कि उसकी नियुक्ति F.S.O के पद पर नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/440/दिनांक 26/07/2011 के आधार पर हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 परन्तुक के अधीन नियुक्ति के

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशेषशता वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगे। प्रस्तुत प्रकरण में श्री पदम सिंह परमार द्वारा नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशेषशता वाला प्रशिक्षण बावत कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही है। इस कारण पदम सिंह परमार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही NUL AND VOID हो जाती है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की ओर से जबाव स्वीकार किया जाकर धारा 26 (2)(ii)/52 F.S.S Act. 2006 नियम 2011 की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया है। बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore** की Certificate No:**789F/FSSA/2022** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

Opinion:
And I am of the opinion that the sample is "**Substandard**" as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for **Khoa** under the Provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

a) Total solids content falls below the minimum standard limit
b) Total ash exceeds the maximum permissible limit
c) R.M. Value falls below the minimum standard limit
d) B.R.R. of extracted fat exceeds the maximum permissible limit

अप्रार्थी द्वारा मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मावा बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी दीपक पुत्र श्री गोविंद प्रसाद, उम्र 49 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्सः— दीपक मावा विक्रेता आरएसी रोड़, रसाला पुलिया, धौलपुर, निवासी नाना साहब का बाड़ा, बजरिया, धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11000/—रुपये (ग्यारह हजार सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner